भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या - 1703

सोमवार, 10 मार्च, 2025/19 फाल्गुन, 1946 (शक)

आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के लिए निधि का आबंटन

1703. श्री मड्डीला गुरूमूर्तिः

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) नई राजधानी के विकास हेतु सहायता के रूप में आन्ध्र प्रदेश में विधान सभा, सचिवालय और राजभवन के निर्माण के लिए सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि का योगदान दिया गया है;

(ख) इन परियोजनाओं के लिए निधि कब आबंटित और संवितरित की गई थी और क्या भविष्य में किन्हीं अतिरिक्त आबंटनों की योजना है;

(ग) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश के राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए प्रदान करने के अपने वायदे को पूरा कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या यह वित्तीय सहायता राज्य के राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) की सीमा के अंतर्गत आती है; और

(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि उक्त निधि का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए और राजधानी क्षेत्र का विकास योजनागत समय-सीमा के अनुसार हो?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ): भारत सरकार ने राजधानी शहर में आवश्यक अवसंरचना के विकास के लिए आंध्र प्रदेश को 2500 करोड़ रुपये की विशेष सहायता (अनुदान) प्रदान की है। इसके अलावा, भारत सरकार ने क्रमशः अमरावती एकीकृत शहरी विकास कार्यक्रम और अमरावती समावेशी तथा सतत राजधानी शहर विकास कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक (डब्ल्यूबी) और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) प्रत्येक से जापानी येन (जेपीवाई) 121,972,000,000 (लगभग 800 मिलियन अमरीकी डालर / 6700 करोड़ रुपये) की बहुपक्षीय ऋण सहायता की मंजूरी और हस्ताक्षर की सुविधा प्रदान की है। ऋण सहायता, अन्य बातों के अलावा, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा परिकल्पित

अमरावती सरकारी परिसर (एजीसी) के भीतर प्रमुख सार्वजनिक अवसंरचना के विकास की सुविधा प्रदान करेगी। विश्व बैंक का ऋण 22 जनवरी, 2025 को प्रभावी हुआ, जबकि एडीबी का ऋण 10 फरवरी, 2025 को प्रभावी हुआ। हालांकि, इन ऋणों के अंतर्गत अभी तक कोई राशि जारी नहीं की गयी है। भारत सरकार ने भी आंध्र प्रदेश को विशेष सहायता (अनुदान) के रूप में समान धनराशि प्रदान करने का निर्णय लिया है, जो कुल वर्तमान परियोजना लागत का 10% (अर्थात अधिकतम 1500 करोड़ रुपये) से अधिक नहीं होगा। यह भी निर्णय लिया गया है कि परियोजना के लिए प्रदान किए गए ऋण की गणना आंध्र प्रदेश की उधार सीमा में नहीं की जाएगी।

(ङ): प्रदान की गई धनराशि का उपयोग ऋण के निर्धारित दिशा-निर्देशों/शर्तों और स्वीकृत ऋण में निर्धारित निगरानी तंत्र द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

****